



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2010
(BHADRA 12, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 3rd September, 2010

No. 21—HLA of 2010/52.—Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Mурthal (Amendment) Bill, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 21—HLA of 2010

DEENBANDHU CHHOTU RAM UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MURTHAL (AMENDMENT) BILL, 2010

A

BILL

further to amend Deenbanhdu Chhotu Ram University of Science and Technology Mурthal Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called Deenbandhu Chhotu Ram University of Short title. Science and Technology Mурthal (Amendment) Act, 2010.

2. In the proviso to sub-section (2) of section 10 of Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Mурthal Act, 2006, for the words and sign "sixty-five", the words and sign "sixty-eight" shall be substituted. Amendment of section 10 of Haryana Act 29 of 2006.

Repeal and
saving.

3. (1) Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 6 of 2010), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. Deenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology Mурthal was incorporated through Haryana Act No. 29 of 2006 to upgrade Chhotu Ram State College of Engineering Mурthal (Sonepat) into a leading University to facilitate and promote studies and research in emerging areas of higher education with focus on new frontiers of science, engineering, technology, architecture and management studies and also to achieve excellence in these and connected fields. In the year 2009, it was upgraded to teaching cum affiliating university by an Haryana Act No. 20 of 2009.
2. Association of Indian Universities in 83rd meeting of their General Body held on November 18, 2008 has resolved to recommend the proposal that the term of the Vice-Chancellor should be 5 years and the age of retirement be 70 years.
3. Guru Jambheshwar University of Science & Technology Hisar and Deenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology Mурthal have also recommended for amendment in their respective Acts for increasing the age of superannuation of the Vice-Chancellor from 65 years to 70 years.
4. For appropriate growth of the University the Vice-Chancellor select should hold the office for longer period and to select Vice-Chancellor having more academic/research/administrative experience, superannuation of the Vice-Chancellor need to be suitably enhanced.
5. In view of the above, the Council of Ministers in its meeting held on 27.4.2010 has considered and approved the increase in age of superannuation of Vice-Chancellor in the above Technical University of the State from 65 years to 68 years.
6. Hence, this Bill namely Deenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology Mурthal (Amendment) Bill, 2010.

RANDEEP SINGH SURJEWALA,
Parliamentary Affairs Minister,
Haryana.

Chandigarh :
The 3rd September, 2010.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2010 का विधेयक संख्या 21-एच० एल० ए०

दीन बन्धु छोटू राम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल (संशोधन) विधेयक, 2010

दीन बन्धु छोटू राम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय मुरथल अधिनियम,
2006, को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इक्सठर्वे वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप
में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

2006 के हरियाणा
अधिनियम 29 की
धारा 10 का
संशोधन।

निरसन तथा
व्यावृत्ति।

1. यह अधिनियम दीन बन्धु छोटू राम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकता है।
2. दीन बन्धु छोटू राम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल अधिनियम, 2006, की धारा 10 की उपधारा (2) के परन्तुक में, “पैंसठ” शब्द के स्थान पर, “अङ्गसठ” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. (1) दीन बन्धु छोटू राम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

दीन बन्धु छोटू राम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल, सोनीपत को 2006 हरियाणा अधिनियम संख्या 29 द्वारा विज्ञान, वाणिकी, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला तथा प्रबन्धन अध्ययन के नए सीमांतों पर फोकस सहित उच्चतर शिक्षा के उभरते क्षेत्रों में अध्ययन को सुकर बनाने तथा उन्नत एवं अनुसंधान के लिए अध्ययन एवं सहबद्ध विश्वविद्यालय स्थापित तथा सम्मिलित करने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए दर्जा बढ़ाया गया है।

2. भारतीय विश्वविद्यालयों के संगठन की साधारण निकाय की 83वीं बैठक जो 18 नवम्बर, 2008 को बुलाई गई थी, में यह प्रस्ताव पारित करने की शिकायत की गई थी कि कुलपति की अवधि 5 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होनी चाहिए।
3. गुरु जम्मैश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार तथा दीन बन्धु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल, सोनीपत में भी कुलपति की अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष से बढ़ा कर 70 वर्ष करने के लिए उनके सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधित करने की सिफारिश की है।
4. विश्वविद्यालय के उचित विकास के लिए कुलपति का चयन लम्बी अवधि तक पद धारण करने के लिए होना चाहिए तथा कुलपति के चयन के लिए उसके अधिक शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशासकीय अनुभव होना चाहिए, अधिवर्षिता उचित रूप से बढ़ाई जानी आवश्यक है।
5. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्री परिषद ने 27.4.2010 को हुई बैठक में राज्य के उपरोक्त तकनीकी विश्वविद्यालयों में कुलपति की अधिवर्षिता की आयु में 65 वर्ष से 68 वर्ष वृद्धि के लिए विचार किया गया तथा अनुमोदित किया गया।
6. अतः यह विधेयक नामतः दीन बन्धु छोटू राम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल (संशोधन) विधयेक, 2010.

रणदीप सिंह सुरजेवाला,
संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
3 सितम्बर, 2010

सुमित कुमार,
सचिव।